स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 159, दिनांकः 24–05–2025

नवी मुम्बई के थाना एन०आर०आई० सागरी में पंजीकृत हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त सुखप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह गिरफ्तार।

दिनांकः 24–05–2025 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना एनआरआई सागरी, नवी मुम्बई में पंजीकृत मु0अ0सं0 218/25 धारा 103(1), 61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सुखप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्तों का विवरणः–

1– सुखप्रीत सिंह पुत्र निरमल सिहं निवासी वार्ड नं0 15 एम्पलाईस कालोनी रतिया, फतेहाबाद हरियाणा।

2– गुरप्रीत सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी ग्राम सकरपुरा झाज्जर, जनपद फतेहबाद हरियाणा।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 24–05–2025 समय 14.25 बजे, घंटा गोल चक्कर थाना सूरजपुर गौतमबुद्वनगर क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18–05–2025 को हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना एन0आर0आई0 सागरी नवी मुम्बई पर मु0अ0सं0 218/25 धारा 103(1), 61(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस हत्याकाण्ड में संलिप्त अभियुक्त सुखप्रीत सिंह एवं गुरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हेतु नवी मुम्बई पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेष एस0टी0एफ0 से सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गयी। जिसके क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण व श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी, उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक 24–05–2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त घण्टा गोल चक्कर, थाना सूरजपुर क्षेत्र में खडे हैं जो कही जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नवी मुम्बई पुलिस को लेकर गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर अभियुक्त सुखप्रीत सिंह एवं गुरप्रीत सिंह, उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त सुखप्रीत सिंह ने बताया कि उसकी उम्र 24 साल है और वह कक्षा 12 पास है। उसको मॉडलिग करने का शौक था, जिसके चलते वह अपने मामा के लडके गुरप्रीत सिंह के साथ वर्ष 2022 में मुम्बई चला गया था। अभियुक्त सुखप्रीत सिंह की नवी मुम्बई में रहने के दौरान वहॉ पर सैलून की दुकान चलाने वाली जनपद गाजियाबाद निवासी एक महिला से मुलाकात हुई थी। अभियुक्त सुखप्रीत सिंह ने उक्त महिला के कहने पर 05 लाख रूपये में एक महिला की हत्या करने की योजना बनाई। हत्या के इस षडयंत्र में सुखप्रीत सिंह अपने मामा के लडके गुरप्रीत को साथ लेकर इस घटना को अंजाम दिया था। विवेचना में यह तथ्य भी प्रकाष में आया कि इस हत्या की सुपारी मृतका के पति किषेार सिंह द्वारा ही दी गयी थी। अभियुक्त सुखपीत

ने ऑनलाइन चाकू एवं मास्क मंगाकर पूर्ण रूप से रैकी करने के उपरान्त दिनांक 18–05–2025 की रात्रि में सड़क पर जाते समय किशोर सिंह की पत्नी का गला काटकर निर्मम हत्या कर दिया था। इस हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना एन0आर0आई0 सागरी नवी मुम्बई पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें अभियुक्त सुखप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना सूरजपुर, जनपद गौतमबुद्धनगर पर दाखिल किया गया तथा नवी मुम्बई पुलिस द्वारा अभियुक्तों का नियमानुसार ट्रांजिस्ट रिमाण्ड प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

———